



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01032023-243971
CG-MH-E-01032023-243971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 860]
No. 860]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

संशोधित अधिसूचना

मुम्बई, 28 फरवरी, 2023

का.आ. 897(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, २००८, की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) द्वारा अधिसूचना का.आ. 1877(अ) दिनांक 19.04.2022 को, मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में रतलाम नीमच दोहरीकरण परियोजना (132.92 कि. मी.) के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारियों के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए के रूप में प्राधिकृत किया गया था।

अधिसूचना का.आ. 1877(अ) दिनांक 19.04.2022 में, पृष्ठ क्रमांक 1 एवं 2 पर, दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड की क्रम सं. 2 में उल्लेखित “मंदसौर” के स्थान पर “मंदसौर और मल्हारगढ़” किया जाता है एवं पृष्ठ क्रमांक 2 पर दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित सक्षम अधिकारी की क्रम सं. 3 में उल्लेखित “डिप्टी कलेक्टर, रतलाम” के स्थान पर “एडिशनल कलेक्टर, रतलाम” किया जाता है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	उप-खंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नीमच	नीमच	नीमच
2	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मंदसौर	मंदसौर और मल्हारगढ़	मंदसौर
3	अपर कलेक्टर, रतलाम	रतलाम	रतलाम

[फा. सं. ई-ऑफिस E-259252-7]

पवन कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (निर्माण) I

MINISTRY OF RAILWAYS
(Western Railway)
CORRIGENDUM NOTIFICATION

Mumbai, 28th February, 2023

S.O. 897(E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Clause 3, sub-section (ii) vide notification S.O. 1877(A) dated 19.04.2022, for the public purpose of execution, maintenance, management, and operation of land acquisition for Ratlam-Nimach Doubling Project (132.92 km) in the context of Special Railway Project in the State of Madhya Pradesh. was authorized as such to discharge the functions as the competent authorities under the Act.

In the notification S.O. 1877(A) dated 19.04.2022 of the Government of India in the Ministry of Railways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), Dated 19 April 2022, mentioned in table at page no. 1 & 2, S. No. 2, in column (3), sub-division is changed from “Mandsaur” to “Mandsaur & Malhargarh” and in column (2), Competent Authority at S. No. 3 changed from “Deputy Collector, Ratlam” to “Additional Collector, Ratlam”.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub-Divisional Officer (Revenue), Nimach	Nimach	Nimach
2	Sub-Divisional Officer (Revenue), Mandsaur	Mandsaur & Malhargarh	Mandsaur
3	Additional Collector, Ratlam	Ratlam	Ratlam

[F. No. E-Office E-259252-7]

PAWAN KUMAR SINGH, Chief Engineer (Construction) I